न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: स्वाति, R.T.S.

मिसल नं. ::: 56 / 2022

सरकार बनाम रामचन्द्र पुत्र रामकुवार, जाति–महाजन, निवासी– सूरजगढ़

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 20.09.2023

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायज रामचन्द्र पुत्र रामकुवार, जाति–महाजन, निवासी–सूरजगढ़ द्वारा राजस्व ग्राम सूरजगढ़ की राजकीय भूमि ख.नं. 1325 / 902 रकबा 0.23 है0 किस्म बारानी–I में से 92 वर्गमीटर भूमि पर दुकान बनाकर अतिकमण करने की हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया। गैर सायलान ने अपने जवाब नोटिस में अंकित किया है कि उक्त दुकान की भूमि मेरे पुत्र के नाम से क्रयशुदा है। आबादी क्षेत्र में स्थित दुकान का पट्टा बनवाने हेतु उसके पुत्र ने पट्टा पत्रावली नगरपालिका सूरजगढ़ में जमा करवा रखी है। प्रार्थी के पुत्र के नाम से पट्टा मिलने की पूर्ण संभावना है। पट्टे की कार्यवाही विचाराधीन होना बताया तथा उक्त भूमि ख.नं. 1325 / 902 नगरपालिका सूरजगढ़ को हस्तान्तरित करने के संबंध में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनूं के कार्यालय में प्रकिया विचाराधीन होना बताया जाकर पत्रावली में कार्यवाही को निरस्त करने हेतु निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैर सायल द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं इस कार्यालय द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनूं को प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि की खातेदारी कस्टोडियन विभाग के नाम दर्ज है। इस कार्यालय के पत्रांक भू.अ. / 2023 / 1343 दिनांक 18.09.2023 द्वारा प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान जयपुर के अ.शा. पत्र दिनांक 10.05.2021 एवं राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–10 / पुनर्वास) विभाग के पत्रांक प. 1 (6) राज–10 / पुनर्वास / 2022 जयपुर दिनांक 14.11. 2022 में अंकित निर्देशानुसार नगरपालिका क्षेत्र सूरजगढ़ में स्थित निष्क्रांत सम्पत्तियां (कृषि के अलावा) स्थानीय निकाय विभाग को हस्तान्तरित करने हेतु सर्वे रिपोर्ट पटवारी / भूमिलेख निरीक्षक से ली जाकर संलग्न कर सर्वे रिपोर्ट में उल्लेखित भूमिया नगरपालिका सूरजगढ़ को नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने की अनुशंषा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, झुंझुनूं को भिजवायी गयी है। संलग्न की गई सर्वे सूची के कम संख्या 14 पर उक्त ख.नं. 1325 / 902 रकबा 0.23 है0 का अंकन भी है। एक ही समय में एक भूमि पर दो तरह की कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय झुंझुनूं द्वारा इस कार्यालय द्वारा प्रेषित पर पर कोई निर्णय नही किये जाने तक कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नही होने के कारण पत्रावली में कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली पत्रावली फैसल शुमार हो। नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति)

तहसीलदार, सूरजगढ़